

कार्यालय अंचल अधिकारी, विशुनपुर।

पत्रांक 87(IV)/२०

प्रमाण पत्र

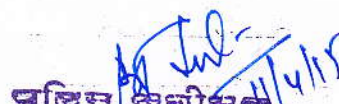
दिनांक 24.02.15

1. प्रमाणित किया जाता है श्री. 3126 पी. ए. ए. वन विभाग परियोजना के लिये प्रस्तावित रकवा 4.00 (चार) एकड़ (भूमि कि विस्तृत विवरणी अलग से संलग्न है) वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत Settlement of rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित अभिलेख संलग्न है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पडने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरण तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति अस्थानिय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्याख्यापित कर दी गई है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्युनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा - 3 (1) (म) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा - 3 (2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।


राजस्व कर्मचारी


अंचल निरीक्षक


अंचल अधिकारी,
विशुनपुर


सुबि. निरीक्षक
गुमबा


सुबि. निरीक्षक
गुमबा